

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2018/7905-17 जयपुर,दिनांक 8.5.2018

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू,
डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, जोधपुर,
नागौर, सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

विषय:—खरीफ फसल 2017 (सम्बत् 2074) में सूखे से प्रभावित किसानों
को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधी (NDRF) के सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:—

1. जिला कलेक्टरों द्वारा प्राथमिकता से पहले 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) काश्तकार एवं 50 से 100 प्रतिशत खराबा वाले लघु सीमान्त से भिन्न (OSMF) अन्य काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।
2. जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्डानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए ट्रेजरी के पैमेनेजर के माध्यम से सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया जायेगा।

3. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

जिला स्तरीय समिति:-जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में MDCCB, कृषि एवं लीड बैंकस् ऑफिसर्स व कोषाधिकारी सदस्य होंगे। इस समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय उपसमिति:-उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व उपकोषाधिकारी के सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समिति:-इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, ग्राम सेवक व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकार की 6 सूचियां पृथक्-पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाएगी:-

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम..... पटवार हल्का.....तहसील.....

लघु व सीमान्त कृषक / अन्य कृषक

खराबा 33-50% / 50-75% / 75-100%

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	एसडीआरए फ / एनडीआरए फ मानदण्डों के अनुरूप देय अनुदान	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण		
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का बैंक खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

पटवारी स्तर पर कार्यवाही एवं जांच-प्रथम स्तर जांच

- इसी प्रकार पटवारी स्तर पर प्रथम स्तरीय जांच में उनके हल्के के कई गांवों में किसी काश्तकार की भूमि होने अथवा एक ही गांव में कई खातों में भूमि होने अथवा अन्य जिले में भूमि होने बाबत प्राथमिक जांच कर पात्र काश्तकारों की निर्धारित मापदण्डों

